संख्या– 760 /अरसठ–4–2021–390/2020

प्रेषक,

आर0वी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 04 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2021

विषयः–मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कोविड–19 के कारण विद्यालय बन्द अवधि में खाद्य सुरक्षा भत्ता (खाद्यान्न) के वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशानुसार कोविड–19 महामारी के कारण विद्यालय बन्द होने की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में समस्त नामांकित छात्र/छात्राओं को खाद्य सुरक्षा भत्ता के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की धनराशि का वितरण किया जा रहा है। शासनादेश संख्या–435/अड़सठ–3–2020 दिनांक 29 मई, 2020 एवं शासनादेश संख्या–768/अड़सठ–3–2020 दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 में दी गई व्यवस्था के अनुसार पूर्व में शासनादेश संख्या–245/अरसठ–4–2021–390/2020 दिनांक 27 मार्च, 2021 द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के छात्रों को दिनांक 01 सितम्बर, 2020 से दिनांक 09 फरवरी, 2021 तक कुल 124 विद्यालय दिवस (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) हेतु तथा प्राथमिक विद्यालय स्तर के छात्रों को दिनांक 01 सितम्बर, 2020 से दिनांक 28 फरवरी, 2021 तक कुल 138 विद्यालय दिवस (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) हेतु खाद्य सुरक्षा भत्ता एवं परिवर्तन लागत की धनराशि उपलब्ध करायी गई है।

2– चूंकि दिनांक 10 फरवरी, 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 01 मार्च 2021 से प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ कराया गया था, जो दिनांक 23 मार्च 2021 तक संचालित रहा। उक्त अवधि हेतु छात्रों को विद्यालय में गर्म पका–पकाया मध्यान्ह भोजन वितरित किया गया है। पुनः कोविड–19 के कारण दिनांक 24 मार्च 2021 से विद्यालय बन्द करने पड़े तथा पुनः स्थिति सामान्य होने पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पठन–पाठन दिनांक 23 अगस्त, 2021 एवं प्राथमिक विद्यालयों में पठन–पाठन दिनांक 01 सितम्बर, 2021 से प्रारम्भ है। अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय/भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्राथमिक विद्यालय स्तर के छात्रों को दिनांक 24 मार्च, 2021 से दिनांक 31 अगस्त 2021 तक कुल 94 विद्यालय दिवस (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश तथा भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.05.2021 के अनुसार ग्रीष्मावकाश को छोड़कर) हेतु प्रति छात्र खाद्यान्न 9.400 किग्रा0 (चावल–6.200 किग्रा0 एवं गेहूँ–3.200 किग्रा0) तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के छात्रों को दिनांक 24 मार्च, 2021 से दिनांक 22 अगस्त 2021 तक कुल 87 विद्यालय दिवस (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश तथा भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.05.2021 के अनुसार ग्रीष्मावकाश को छोड़कर) हेतु प्रति छात्र खाद्यान्न 13.05 किग्रा0 (चावल–8.700किग्रा0, गेहूँ–4.350 किग्रा0)

2/–

उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 महामारी के कारण विद्यालय बन्द होने की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों के समस्त नामांकित छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय स्तर के छात्रों को दिनांक 24 मार्च, 2021 से दिनांक 31 अगस्त 2021 तक कुल 94 विद्यालय दिवस (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश तथा भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.05.2021 के अनुसार ग्रीष्मावकाश को छोड़कर) हेतु प्रति छात्र खाद्यान्न 9.400 किग्रा0 (चावल–6.200 किग्रा0 एवं गेहूँ–3.200 किग्रा0) तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के छात्रों को दिनांक 24 मार्च, 2021 से दिनांक 22 अगस्त 2021 तक कुल 87 विद्यालय दिवस (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश तथा भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.05.2021 के अनुसार ग्रीष्मावकाश को छोड़कर) हेतु प्रति छात्र खाद्यान्न 13.05 किग्रा0 (चावल–8.700किग्रा0, गेहूँ–4.350 किग्रा0) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– खाद्य सुरक्षा भत्ता का वितरण शासनादेश संख्या–435/अड़सठ–3–2020 दिनांक 29 मई, 2020 एवं शासनादेश संख्या–768/अड़सठ–3–2020 दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्राधिकार पत्र के द्वारा स्थानीय (कोटेदार) के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

5– उपर्युक्तानुसार खाद्यान्न छात्रों/उनके अभिभावकों को उपलब्ध कराने से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी, जिसका सतत् अनुश्रवण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

6– उक्त हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–654/अरसठ–4–2021–390/2020 दिनांक 03 सितम्बर, 2021, जिसके द्वारा कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत दिनांक 24 मार्च, 2021 से दिनांक 31 अगस्त, 2021 (विद्यालय बन्द अवधि हेतु) तक कुल 94 विद्यालय दिवस हेतु मध्यान्ह भोजन से आच्छादित विद्यालयों के छात्रों (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय) को खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, को अवक्रमित करते हुए निरस्त किया जाता है।

अतएव कृपया उपर्युक्तानुसार समस्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर समय से सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(आर0वी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।

3/–

5. अधिशासी निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, बारखम्भा रोड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–981/2021–22 दिनांक 14.09.2021 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही समयान्तर्गत कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
13. नियोजन अनुभाग–4/वित्त (ई–11) बजट अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

Su.mdm.go.dell